यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय श्रम आयुक्त उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय श्रम आयुक्त उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल के माह 09/2012 से 09/2018 तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन डा0 सतीश पाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री पवन कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, एवं श्री मुन्ना राम, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 15.10.2018 से 20.10.2018 तक श्री पुष्कर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

<u>भाग</u>-।

1). परिचयात्मकः इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री ए.के. श्रीवास्तव एवं श्री के॰ एस॰ चौहान, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा श्री राकेश कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण मे दिनांक 22.09.2012 से 29.09.2012 तक संपादित की गयी। जिसमे माह 04/2009 से 08/2012 तक के अभिलेखो की जांच की गयी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 09/2012 से 09/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2). (i). इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः इकाई का क्रियाकलाप विभिन्न श्रम कानूनों का प्रवर्तन सुनिश्चित कराना है तथा भौगोलिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य शामिल है।

ii). (अ). विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख में)

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
		स्थापना	गैर-स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
1	2014-15	0.00	0.00	221.00	146.20	27.15	23.68	-	78.27
2	2015-16	0.00	0.00	220.50	167.56	28.30	26.72	-	54.52
3	2016-17	0.00	0.00	251.00	186.80	38.90	30.15	-	72.95
4	2017-18	0.00	0.00	236.21	230.85	36.90	33.48	-	8.78
5	2018-19	0.00	0.00	257.96	132.58	44.70	16.92	-	--

(ब). Autonomous Bodies की इकाइयों के विगत तीन वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं:

लागू नही

(स). केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक आवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति (आवंटन)	विविध प्राप्तियाँ (ब्याज आदि)	कुल प्राप्ति	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
2014-15	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2015-16	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2016-17	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2017-18	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2018-19	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

iii). इकाई को बजट आवंटन राज्य योजना अनुदान संख्या 16 के अंतर्गत, निदेशालय प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, हल्द्वानी द्वारा किया जाता है। गैर-स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'C' श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

a). श्रम विभाग, उत्तराखण्ड

b). श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल

c). अपर श्रम आयुक्त, मुख्यालय, हल्द्वानी नैनीताल

iv). लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः वर्तमान लेखापरीक्षा 09/2012 से 09/2018 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए **कार्यालय श्रम आयुक्त उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल** के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी । यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय श्रम आयुक्त उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2015, 03/2017 एवं 09/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

v). लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद- 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग - दो (ब)</u>

<u>प्रस्तर</u>:-1- कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तुत आगणन के परीक्षण मे ग्राहक विभाग के अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण रु. 64.15 लाख का परिहार्य व्यय का प्रकरण पाया जाना।

शासनादेश 1909/VIII/12-13(श्रम)/2010, दिनांक 04.12.2012 एवं शासनादेश 723/VIII/15-13(श्रम)/2010, दिनांक 02.06.2015 द्वारा श्रम न्यायालय, काशीपुर हेतु स्वीकृत धनराशि रु 129.97 एवं पुनरीक्षित लागत 194.12 लाख सिविल/ भवन निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसके सापेक्ष कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम रुद्रपुर, उधमसिंह नगर को धनराशि रु 65.00 लाख प्रथम किस्त के रुप में अवमुक्त की गयी। समय समय पर विभिन्न शासनादेशों के द्वारा क्रमश रु 20.00 लाख - 03/2014, रु 44.97 लाख - 12/2014, रु 39.51 लाख - 06/2015, मे कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की गयी थी एवं अंतिम किस्त रु 24.64 लाख शासनादेश 1003(1)/VIII/16-13/2010, दिनांक 23.08.2016 द्वारा लेखापरीक्षा तिथि तक अवमुक्त किया जाना लंबित पाया गया। कार्यदायी संस्था द्वारा पुनरीक्षित आगणन 194.12 लाख के सापेक्ष धनराशि रु 169.48 लाख का उपयोग (यूसी) किए जाने के पश्चात संबन्धित निर्माण कार्य की मासिक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति 100% पायी गयी एवं संबन्धित निर्माण कार्य 12/2016 को पूर्ण होने के उपरान्त भी लेखापरीक्षा तिथि तक (2 वर्ष बीत जाने के उपरान्त) भवन श्रम न्यायालय, काशीपुर को प्रयोजन के विपरीत अहस्तगत पाया गया।

संबन्धित अभिलेखो की जांच में पाया गया कि कार्यदायी संस्था द्वारा उक्त निर्माण कार्य हेतु एक मुश्त धनराशि के एमओयू न करते हुये, अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष टुकड़ो-टुकड़ो में एमओयू किए गए। प्रारम्भिक एमओयू दिनांक 17.12.2012 को धनराशि रु 65.00 लाख का किया गया, जिसकी शर्तो के अनुसार उक्त निर्माण कार्य के पूर्ण होने की अवधि 22 माह (10/2014) निर्धारित थी तथा निर्माण कार्य लागत के पुनरीक्षण की अनुमति अनुमन्य नही थी। आगे जांच मे पाया गया कि एजेंसी द्वारा ग्राहक विभाग को द्वितीय किश्त रु 20.00 लाख की उपभोग प्रमाण पत्र प्रदान नही किए जाने के बाद भी स्वविवेक से अंतिम किश्त रु 44.97 लाख 24 माह(12/2014 तक समय से अवमुक्त) के भीतर कार्यदाई संस्था को अवमुक्त कर दी गयी, जबकि नियमतः एजेंसी से यूसी प्राप्त होने के बाद ही अगली किश्त जारी की जाती है। उक्त पर इकाई मौन पायी गयी फिर भी कार्यदायी संस्था द्वारा मई 2014 तक पूर्ण धनराशि आवंटित नही किए जाने एवं तीन वर्षो में सामग्री एवं लेबर दरों में अत्यधिक वृद्धि होने के आधार पर पुनरीक्षित आगणन रु 198.92 लाख लोक निर्माण विभाग के 17 मई 2013 की स्वीकृत दरों पर तैयार कर दिनांक 28.05.2014 को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया तदनुपरान्त इकाई द्वारा 02/2015 (पूर्ण धनराशि रु 129.97 लाख एजेंसी को अवमुक्त करने के बाद) को शासन को प्रेषित किया गया जिसे उक्त शासनादेश 723, दिनांक 02.06.2015 द्वारा रु 194.12 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी। आगे तथ्य प्रकाश मे आया कि कार्यदायी संस्था को सम्पूर्ण धनराशि रु 129.97 लाख 12/2014 तक (समय से अवमुक्त) प्रदान किए जाने एवं निर्माण कार्य 5 माह विलम्ब से प्रारम्भ किए जाने के बाद भी इकाई द्वारा एमओयू प्रभावी होने के बावजूद, कार्यदायी संस्था

द्वारा प्रेषित पुनरीक्षित आगणन धनराशि रु 198.92 लाख माह 02/2015 को शासन को प्रेषित किया गया, जिसके सापेक्ष दिनांक 02.06.2015 को रु 194.12 लाख पुनरीक्षित लागत (रु 194.12 लाख - 129.97 लाख = 64.15 लाख अधिभार) की स्वीकृति प्रदान की गयी। अर्थात कार्यदायी संस्था द्वारा गलत तरीके से पुनरीक्षित आगणन इकाई को भेजा गया जिस कारण धनराशि रु 64.15 लाख का अधिभार पड़ा जिसमें धनराशि रु 39.51 लाख का भुगतान कार्यदायी संस्था को किया जा चुका था।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर मे बताया कि "अनुबन्ध जनवरी 2013 मे किया गया तथा कार्य निर्माण एजेंसी द्वारा मई 2013 मे प्रारम्भ किया गया कार्य 5 माह विलम्ब से प्रारम्भ किए जाने के संबंध मे तत्काल जानकारी उपलब्ध कराना संभव नही हो पा रहा है। इस संबंध मे आख्या में स्थिति स्पष्ट की जाएगी एवं भवन के हस्तगत किए जाने के संबंध मे इकाई ने टिप्पणी की कि निर्माण कार्य पूर्ण है, अधिग्रहण की स्थिति पीठासीन अधिकारी काशीपुर से ज्ञात कर स्पष्ट की जाएगी।

उत्तर संतोषजनक नही पाया गया क्योकि कार्यदायी संस्था को समय से धनराशि प्राप्त होने एवं यूसी समय से प्रदान नही दिये जाने के बावजूद अनुबंध प्रभावी होने पर भी पुनरीक्षित आगणन रु 198.92 लाख प्रेषित किया गया, जिस कारण धनराशि रु 64.51 लाख का परिहार्य अधिभार निर्माण कार्य पर पड़ा तथा 2 वर्षो से उक्त भवन तैयार होने के बाद भी अहस्तगत अवस्था में पाया गया।

अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर:1- कार्यालय द्वारा रोकड़ बही का रखरखाव नही किया जाना एवं शासनादेश के विपरीत धनराशि रु 196.40 लाख के वाउचरों का रखरखाव नियम संगत नही पाया जाना।

शासनादेश संख्या 3 / xxvii(6) / 2013 दिनांक 02 जनवरी 2013 के द्वारा शासकीय भुगतान हेतु राज्य में ई- प्रणाली लागू की गयी थी, जिसके तहत आहरण एवं संवितरण अधिकारी के दायित्वों मे पैरा संख्या 4.9 के अनुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारी इन्टरनेट की सहायता से अपने देयकों की धनराशि सम्बंधित के बैंक खातें में अंतरण हो जाने के विवरण का प्रिंट प्राप्त करेंगे तथा भुगतान सम्बंधित अभिलेखों - यथा 11सी पंजिका, कैशबुक, बिल रजिस्टर आदि में इनके प्राप्त होने की प्रविष्टि यथा स्थान पर करेंगे।

कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी के रोकड़ बही संबन्धित अभिलेखों की जांच की गयी। चयनित नमूना जांच के दौरान माह 03/2015, 03/2017 एवं 09/2018 के क्रमश: बीएमएस-5 के अनुसार धनराशि रु 10.64 लाख, 35.79 लाख एवं 149.97 लाख के वाउचरो/व्यय की जांच की गयी थी जिसके सापेक्ष माह 03/2015 एवं 03/2017 में धनराशि रु 2.43 लाख तथा रु 4.85 लाख अर्थात कुल धनराशि रु 7.28 लाख (विवरण संलग्न) के वाउचर लेखापरीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत किए गए। आगे जांच में तथ्य प्रकाश मे आया कि, कार्यालय द्वारा रोकड़ बही का रखरखाव ई- प्रणाली लागू (वर्ष 2013 से) किए जाने के उपरान्त से नही किया गया एवं कार्यालय द्वारा कोषागार को समय समय पर प्रेषित देयकों (Bill), प्रपत्र01 एवं प्रपत्र-02 की छायाप्रतियों का रखरखाव भी नही किया गया। उपरोक्त नियम के परिपेक्ष्य मे कार्यालय स्तर से तैयार किए गए 11 सी पंजिका, कोषागार प्रेषण पंजिका आदि का रखरखाव नियम संगत नही पाया गया क्योंकि संबन्धित पंजिकाओं में संबन्धित देयकों/वाउचर के भुगतान संबन्धित विवरण अंकित न कर केवल मद संख्या अंकित किया गया जिस कारण लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत देयकों में अंतिम भुगतान का पता लगाना संभव नही पाया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इस ओर इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि विभाग द्वारा कैश बुक बनाई गई है जिसमें 385 शासकीय रसीद से प्राप्त धनराशि तथा अन्य मदों से प्राप्त धनराशि दर्शाई जाती है समस्त मदों के व्यय को कैश बुक में अंकित करने संबंधी लेखा परीक्षा के सुझाव का भविष्य में अनुपालन किया जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इकाई स्तर से रोकड़ बही का रखरखाव वर्ष 2013 से नहीं किया जा रहा था और न ही इकाई द्वारा उपरोक्त शासनादेश के तहत ई-प्रणाली संबन्धित दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कर कार्यालय अभिलेखों का नियमतः रखरखाव सुनिश्चित किया गया।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

क्रम संख्या	चयनित माह	बीएमएस- 05 के अनुसार बिल संख्या	दिनांक	धनराशि
01	मार्च 2017	154	06.03.17	224646
02	मार्च 2017	165	08.03.17	52717
03	मार्च 2017	144	09.03.17	10000
04	मार्च 2017	160	16.03.17	3255
05	मार्च 2017	175	21.03.17	12886
06	मार्च 2017	174	21.03.17	866
07	मार्च 2017	173	21.03.17	50820
08	मार्च 2017	171	21.03.17	11764
09	मार्च 2017	176	22.03.17	61475
10	मार्च 2017	153	23.03.17	3876
11	मार्च 2017	178	23.03.17	11200
12	मार्च 2017	51303	25.03.17	28689
13	मार्च 2017	187	26.03.17	1500
14	मार्च 2017	186	26.03.17	11250
15	मार्च 2015	196	11.03.15	20526
16	मार्च 2015	198	11.03.15	2216
17	मार्च 2015	201	11.03.15	4500
18	मार्च 2015	203	11.03.15	2500
19	मार्च 2015	200	11.03.15	77669
20	मार्च 2015	199	11.03.15	6200
21	मार्च 2015	197	11.03.15	1365
22	मार्च 2015	204	11.03.15	3050
23	मार्च 2015	195	12.03.15	1811
24	मार्च 2015	211	16.03.15	1668
25	मार्च 2015	219	16.03.15	54379
26	मार्च 2015	205	20.03.15	11600
27	मार्च 2015	222	21.03.15	9815
28	मार्च 2015	225	27.03.15	12425
29	मार्च 2015	221	27.03.15	10000
30	मार्च 2015	235	27.03.15	31660
31	मार्च 2015	234	27.03.15	29477
32	मार्च 2015	240	27.03.15	8286

STAN

प्रस्तर:2- अनियमित व्यय रु. 1.70 लाख।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के नियम- 10 के अनुसार ऐसी सामाग्री और मदों के लिए जिन्हें सामान्य उपयोग की मदों के रूप मे चिन्हित किया गया है और जिनकी सरकारी विभागों और एजेंसियो को बार बार आवश्यकता होती है दर संविदा की जा सकती है जो समान्यतः एक समय मे एक वर्ष के लिए की जा सकेगी।

कार्यालय श्रम आयुक्त, हल्द्वानी की लेखापरीक्षा में मदों के अंतर्गत आवंटित धनराशियों में से नमूना जांच के रूप मे कंप्यूटर हार्डवेयर मद का चयन करते हुये वित्तीय नियमावली के तहत क्रय कोटेशन प्रणाली का परीक्षण किया गया जिसमें प्राप्त 03 वर्षो के आकड़ों के अनुसार कंप्यूटर हार्डवेयर मद में वर्ष दर वर्ष धनराशियों का आवंटन पाया गया। उक्त क्रम मे कंप्यूटर हार्डवेयर से संबन्धित वर्ष 2017-18 की क्रय कोटेशन पत्रावली की जांच की गयी। जांच मे पाया गया कि लेखाशीर्ष 2230-01-001-03-00 मे कंप्यूटर हार्डवेयर क्रय हेतु धनराशि रु 1.70 लाख आबंटित की गयी जिसके सापेक्ष समस्त राशि प्रयुक्त पायी गयी तथा वर्ष 2017-18 मे कंप्यूटर सामाग्री क्रय के लिए पृथक पृथक टुकड़ो में क्रय कोटेशन प्रक्रिया पूरी की गयी एवं कंप्यूटर सिस्टम के रखरखाव पर अधिप्राप्ति नियम 18 (2) के अनुसार वार्षिक मरम्मत अनुबंध का अनुपालन नहीं किया जाना पाया गया।

इस और इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि क्रय मांग के अनुरूप किया गया है जैसे मांग हुई तदनुसार ही क्रय किया है शासकीय हित में एएमसी से कम दरो पर कार्य कराया गया है।

उत्तर संतोषजनक नही पाया गया। विगत 03 वर्षो के आकड़ों से तथ्य प्रकाश में आया कि इकाई को कंप्यूटर हार्डवेयर तथा एक्सेसरिज की बार-बार आवश्यकता थी, ऐसी दशा मे क्रय कोटेशन की प्रक्रिया कर अवधि में बार बार पूरी करने की परंपरा पर रोक लगाते हुये प्रतिस्पर्धा दर पर फर्म से वार्षिक अनुबंध किया जाता तो प्राप्त तुलनात्मक दर शासकीय हित में अच्छा होता तथा बार-बार की कार्यवाही से बचा जा सकता था तथा रखरखाव के लिए नियम संगत एएमसी कराया जाता तो इकाई को त्वरित सेवा, मशीन की लाइफ तथा अनियोजित ढंग से रखरखाव पर होने वाले व्यय से बचा जा सकता था।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
SS/59/2012-13	-----	01,02	01

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण			अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभियुक्ति
	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN			
SS/59/2012-13	-----	01,02	01			

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

..... शून्य .....

भाग-V

आभार

1). कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय श्रम आयुक्त उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

अप्रस्तुत अभिलेख: शून्य

2). सतत् अनियमितताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

नाम	पदनाम	अवधि
श्री पी.एस. कुटियाल	श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड	लेखापरीक्षा अवधि से 31.12.2012 तक
श्री अवनेन्द्र सिंह नयाल	श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड	03.01.2013 से 31.07.2013
श्री सी॰ एम॰ एस॰ बिष्ट	श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड	31.07.2013 से 10.09.2013
श्री विनोद कुमार सुमन	श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड	10.09.2013 से 24.01.2014
श्री सुशील कुमार	श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड	28.01.2014 से 17.01.2015
डा॰ आनन्द श्रीवास्तव	श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड	17.01.02015 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका, उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय श्रम आयुक्त उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल** को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे "उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून 248195 " को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.